लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/विद्या/व्ही/943 भोपाल, दिनांक 16/10/2009

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
   लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   मध्यप्रदेश

विषय– स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना अंतर्गत कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों हेतु विद्यालय स्तर पर कॅरियर मार्गदर्शन।

राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना अंतर्गत कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों हेतु विद्यालय स्तर पर कॅरियर मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। इस संबध में विस्तृत निर्देश इस प्रकार है :--

1. कॅरियर मार्गदर्शन कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उनकी अध्ययनरत संस्था में ही प्रदान किया जाएगा।
2. यह कार्यक्रम 26 अक्टूबर, 2009 से 30 अक्टूबर, 2009 के मध्य आयोजित किया जाएगा।
3. कॅरियर मार्गदर्शन से संबंधित सामग्री जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से प्रदेश के सभी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराई जा चुकी है उसी सामग्री का उपयोग किया जाए।
4. कॅरियर मार्गदर्शन देने का कार्य संबंधित विद्यालय के प्रशिक्षित कॅरियर काउन्सलर द्वारा किया जाएगा।
5. मार्गदर्शन के संबंध में काउंसलर मैन्युअल म. प्र. शासन की वेवसाइट mp.gov.in अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग की साइट पर तथा स्कूल शिक्षा विभाग की वेवसाइट www.sednmp.nic.in पर उपलब्ध कराया जाएगा। सभी काउन्सलर संबंधित वेवसाइट से मैन्युअल डाउनलोड करेंगे।
6. कार्यक्रम आयोजन के पूर्व काउन्सलर का सेटकॉम के माध्यम से प्रशिक्षण दिनांक 24 अक्टूबर 2009 को दोपहर 2 से 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत निदेशक स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना द्वारा दिया जाएगा। जिला स्तर पर स्थित सेटकाम केन्द्र पर प्रशिक्षण में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कॅरियर मार्गदर्शकों की उपस्थिति अनिवार्यतः सुनिश्चित की जाये।
7. सेटकॉम पर दिये गये प्रशिक्षण के आधार पर कॅरियर मार्गदर्शन का शिविर निर्धारित तिथि को विद्यालय स्तर पर आयोजित होगा। यह सुनिश्चित किया जाये कि शिविर में विद्यालय के कक्षा 12वीं के सभी छात्र आवश्यक रूप से सम्मिलित हों।

8. दिनांक 30 अक्टूबर, 2009 को कॅरियर काउन्सलर द्वारा संपूर्ण रिपोर्ट तैयार कर निदेशक स्वामी विवेकानन्द कॅरियर मार्गदर्शन योजना, इन्दौर को उनकी ई–मेल svcgc_mphigheredu@yahoo.com पर भेजी जाए।
9. कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।

उक्तानुसार कार्यक्रम का आयोजन निर्देशानुसार समयावधि में सुनिश्चित किया जाये।

(बी. आर. नायडू)
आयुक्त लोक शिक्षण
तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग म. प्र.
भोपाल

पृष्ठां0क्र0 क्रमांक / विद्या / व्ही / 944 भोपाल, दिनांक 16 / 10 / 2009

प्रतिलिपि–

1– विशेष सहायक, मान0 मंत्री जी, स्कूल शिक्षा की ओर सूचनार्थ।
2– प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3– प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
4– आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश भोपाल की भेजकर अनुरोध है कि उक्तानुसार आवश्यक निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।
5– आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि दिनांक 24 / 10 / 2009 को डाइट / जिले में अन्यत्र स्थित सेटकाम केन्द्रों को आवश्यक व्यवस्था हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
6– आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल की भेजकर अनुरोध है कि उक्तानुसार आवश्यक निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।
7– आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8– समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
9– निदेशक, स्वामी विवेकानन्द कॅरियर मार्गदर्शन योजना, इन्दौर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि सेटकाम प्रशिक्षण की एवं काउन्सलर मैन्युअल भेजने की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें।
10– संचालक, सेटकाम केन्द्र, प्रशासन अकादमी भोपाल।

आयुक्त लोक शिक्षण
तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग म. प्र.
भोपाल